

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई-एमपॉवर
(आर.टी.ओ. कार्यालय के पास बी.जे.एस. कॉलोनी, पावटा सी रोड, जोधपुर.)
(फोन नं.-2551550 फैक्स नं.-0291-2551550)

प.1 (3)ग्रावि/एमपॉवर/आईफेड/2008/

जोधपुर, दिनांक

विज्ञप्ति

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) द्वारा वित्त पोषित पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना (एमपॉवर) के क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई जोधपुर एवं ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाईयों में निम्नलिखित अस्थाई पदों पर हेतु राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/संघ के योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति पर विशेष चयन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2010 सांय 6 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्रस	पदनाम व स्थान	वेतन श्रृंखला	योग्यता
1	सहायक लेखाधिकारी सांकडा,	6500-10500 PB-2 9300-34800 GP 4200 (प्रतिनियुक्ति पर)	1. वेतन श्रृंखला 6500-10500 PB-2 9300-34800 GP 4200 मे कार्यरत सहायक लेखाधिकारी अथवा वेतन श्रृंखला 5500-9000 PB-9300-34800 GP 3600 मे कार्यरत लेखाकार के पद का 3 वर्ष का अनुभव। 2. कम्प्यूटर में MS word/Excel/Internet कार्य करने का अनुभव
1	कार्यालय सहायक जोधपुर, सांचौर,	5000-8000 PB-9300-34800 GP 3200 (प्रतिनियुक्ति पर)	1. वेतन श्रृंखला 5000-8000 PB-9300-34800 GP 3200 मे कार्यरत अथवा वेतन श्रृंखला 4000-6000 PB-5200-20200 GP 2400 मे यू.डी.सी./एल.डी.सी. के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। 2. कम्प्यूटर में MS word/Excel/Internet कार्य करने का अनुभव।
2	कैशियर जोधपुर,बाप,सांचौर,बायतु	4000-6000 PB-5200-20200 GP 2400 (प्रतिनियुक्ति पर)	1.वेतन श्रृंखला 4000-6000 PB-5200-20200 GP 2400 मे कार्यरत या वेतन श्रृंखला 3050-4590 मे न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। 2. कैशियर कार्य मे 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। 3.कम्प्यूटर में MS word/Excel/Internet कार्य करने का अनुभव।

नोट:-

- विस्तृत विज्ञप्ति,शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप www.rdprd.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है अथवा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2010 की सायं 6 बजे तक राज्य परियोजना निदेशक (एमपॉवर), राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, आर.टी.ओ. कार्यालय के पास, बी.जे.एस. कॉलोनी, पावटा सी रोड, जोधपुर-342010 में पहुंच जाने चाहिए।

राज्य परियोजना निदेशक
एमपॉवर, जोधपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

(राज्य/केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु)

परियोजना प्रबन्धन इकाई एमपॉवर में.....के पद पर प्रतिनियुक्ति पर चयन हेतु
प्रार्थना पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. वर्तमान पता
- मय दूरभाष/मोबाईल नं.
4. स्थायी पता
5. जन्म तिथि एवं 01.07.10 को आयु
6. गृह जिला
7. शैक्षणिक योग्यता (कक्षा दसवीं से लगातार)

डिग्री डिप्लोमा का विवरण	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्तांको का प्रतिशत

8. कम्प्यूटर सम्बन्धित योग्यता
9. सेवा का नाम, जिससे सम्बन्धित हों.....
10. पद, जिसके लिए आवेदन किया गया है.....
11. राज्य/केन्द्रीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा विभिन्न पदों पर पदस्थापन का विवरण

क्रमांक	दिनांकसे..... तक	पदनाम	वेतनमान	विशेष विवरण

12. वर्तमान पद एवं विभाग/कार्यालय
13. पदस्थापन स्थान की प्राथमिकता 1. 2. 3.
14. वर्तमान वेतनमान व वेतन
15. यदि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त है तो मूल विभाग में वर्तमान वेतनमान व वेतन.....
16. वर्तमान पद की पदोन्नति का वर्ष एवं तिथि.....

परियोजना पदों के चयन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पद पूर्णतया अस्थायी हैं, जो परियोजना अवधि के लिए भरे जायेंगे, प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति/चयन 1 वर्ष की होगी, जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर बढ़ाया जा सकेगा। चयनित कार्मिक को परियोजना में न्यूनतम 3 वर्ष कार्य करने का अण्डर टेकिंग देना होगा।
2. आयु 01.07.2010 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
3. प्रतिनियुक्ति पर विशेष चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट "अ" में आवेदन करना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कार्मिकों को आवेदन प्रपत्र में अपने पैतृक विभाग में उनको देय वेतन एवं वेतनमान भी अंकित करना आवश्यक है।
5. हिन्दी व अंग्रेजी में अभिव्यक्ति व विश्लेषण की उत्कृष्ट दक्षता अनिवार्य है।
6. चयन राज्य सरकार की निर्धारित समिति द्वारा किया जायेगा व पद के वेतनमान में पदस्थापित किया जायेगा, राज्य सरकार/परियोजना की परिलब्धियाँ नियमानुसार देय होगी। चयन/निरस्त के समस्त अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा।
1. विज्ञप्ति में दर्शाये गये पदों के अतिरिक्त पैनल भी तैयार किया जायेगा।
2. पदों पर प्रतिनियुक्ति पर चयनित/पदस्थापितों का लियन पैतृक विभाग में रहेगा एवं परियोजना अवधि समाप्त होने या पैतृक विभाग वापस भेजे जाने पर कार्मिक का पैतृक विभाग में पदस्थापन मूल पद, मूल वेतनमान पर होगा।
3. भारत सरकार/राजस्थान सरकार एवं बोर्ड /संघ/उपक्रम में सेवारत कार्मिक/अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट अ में आवेदन पत्र संबन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष से अग्रेषित होना आवश्यक है।
4. आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2010 की सायं 6 बजे तक राज्य परियोजना निदेशक (एमपॉवर), राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, आर.टी.ओ. कार्यालय के पास, बी.जे.एस. कॉलोनी, पावटा सी रोड, जोधपुर-342010 में पहुंच जाने चाहिए।

आवेदक के हस्ताक्षर

पैतृक विभाग की सिफारिश

1. प्रार्थी के विरुद्ध विभागीय जांच, प्राथमिक जांच, आपराधिक आरोप लम्बित नहीं है।
2. राजकीय कोष के सम्बन्ध में आवेदक कभी भी आपराधिक कार्यवाही, वित्तीय अनियमितताओं में विभागीय जांच, राजकोष के गबन के सम्बन्ध में कभी भी सजा नहीं दी गई।
3. सर्विस रिकार्ड के आधार पर पिछले सात वर्षों से आवेदक की सेवा न्यूनतम संतोषप्रद रही है।
4. आवेदक नियमित नियुक्ति के आधार पर नियुक्त हैं। ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्ति के दौरान आवेदक की सेवा में लियन अपने पैतृक विभाग/संस्था में रहेगा।
5. ग्रामीण विकास विभाग (परियोजना प्रबन्धन इकाई) द्वारा यदि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र कार्मिक विभाग से मांगे जायें, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं करेगा।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम